CRIMINAL JUSTICE AND
POLICE ACCOUNTABILITY
PROJECT

वाइल्डलाइफ पुलिसिंगः
मध्य प्रदेश के जंगलों में अपराधीकरण का राज

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) और संशोधन विधेयक (2021) से संबंधित चिंताएं

यह संक्षिप्त विवरण भोपाल स्थित अनुसंधान और कानूनी हस्तक्षेप करने वाले संस्थान क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस एकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट द्वारा तैयार किया है. सीपीए प्रोजेक्ट उत्पीड़ित जातियों और समुदायों के प्रति अन्यायपूर्ण अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है. हमने मध्य प्रदेश में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत दर्ज मुकदमों के कार्यान्वयन और परिणामों के अध्ययन से निष्कर्ष निकाले हैं. यह अपनी तरह का पहला सार्वजनिक अध्ययन है.

अधिनियम का संदर्भ

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (डब्ल्यू.पी.ए.) जंगली जानवरों, पक्षियों और पेड़-पौधों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है. इस अधिनियम के तहत लुप्तप्राय वन्यजीवों की कुछ प्रजातियों का शिकार करना और इन्हें अपने अधीन रखना प्रतिबंधित किया गया है. इस कानून की जड़ें पूर्व-औपनिवेशिक और औपनिवेशिक कानूनों में हैं. यह कानून एक ऐसा 'संरक्षित क्षेत्र' (पीए) बनाता है जिसकी सीमाओं का अतिक्रमण वर्जित हो. ऐसे क्षेत्र ज्यादातर मामलों में स्थानीय समुदायों के परामर्श के बिना बनाए गए, जो अपनी आजीविका के लिए परंपरागत रूप से इन वन क्षेत्रों पर निर्भर हैं. इस कानून के 'वैज्ञानिक' दृष्टिकोण ने विस्थापन, उत्पीड़ित समुदायों के अपराधीकरण, वन विभाग के अधिकारियों के हाथों उत्पीड़न, मानव-वन्यजीव संघर्ष आदि को जन्म दिया है.

अपराधीकरण का स्वरूप

डब्ल्यू.पी.ए. के तहत किसी अपराध से कोई बचाव नहीं है. ऐसा सख्त कानून भारत में अवैध वन्य-जीव व्यापार और बाघों की तब घटती संख्या की समस्या को निपटने के लिए लाया गया था. लेकिन आज की तारीख में इस कानून के अंदर की गयी कार्यवाही आमतौर पर अवैध व्यापार से संबंधित नहीं है.

सीपीए प्रोजेक्ट ने अपने आगामी अध्ययन में अपराधीकरण के स्वरूपों को समझने के लिए पुलिस और वन विभाग के आंकड़ों का विश्लेषण किया है.

- इसमे शिकार के अपराध (34 प्राथमिकी) के लिए मप्र पुलिस द्वारा 2016 और 2020 के बीच दर्ज की गई प्राथमिकियों का अध्ययन किया और पाया कि 32% से अधिक आरोपी अनुसूचित जनजाति (एस.टी.), 12.5% से अधिक अनुसूचित जाति (एस.सी.) और लगभग 12% अन्य उत्पीड़ित जाति और समुदायों से थे.
- 2011 से 2020 के बीच डब्ल्यूपीए के तहत 780 गिरफ्तारियों के विश्लेषण में पाया कि गिरफ्तार किए गए लगभग 30% व्यक्ति उत्पीड़ित जाति और समुदायों से थे. उनहोने यह

भी पाया कि पुलिस ने तरह-तरह के अपराधों के आरोप में ये गिरफ्तारियां कीं. डब्ल्यूपीए के साथ-साथ विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, खान और खनिज अधिनियम का इस्तेमाल हुआ. अध्ययन में यह भी पाया गया कि डब्ल्यूपीए के साथ-साथ कभी-कभार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, लैंगिक अपराध से बालक का संरक्षण अधिनयम, मोटर यान अधिनियम और आबकारी अधिनियम के तहत भी गिरफ्तारी की जाती है.

- सीपीए प्रोजेक्ट ने वन विभाग के साल 2016 से 2020 तक के शिकार से जुड़े 1414 अपराधों से संबंधित आंकड़ों का भी अध्ययन किया. शिकार के कुल आरोपियों में लगभग 75% आरोपी उत्पीड़ित जाति और समुदायों से थे, और इनमें 40% आरोपी अनुसूचित जनजाति के पाए गए.

- अनुसूचित जनजाति (एसटी) के व्यक्तियों की अधिकता अपेक्षित थीक्योंकि अध्ययन के निष्कर्षों के मुताबिक पुलिस और वन विभाग दोनों ही जंगल में निवास करने वाले समुदायों को निशाना बनाती हैं.

आत्मा रक्षा का अपराधीकरण और वन अधिकारों की अनदेखी

आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट रूप से तीन रुझान उभरते हैं:

सभी प्रकार के हितधारकों से हमारे साक्षात्कार में अधिकांश उत्तरदाताओं ने एक साझा समस्या सामने रखी कि जंगली सूअर, चीतल और सांभर (हिरण) उनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं. कई मामलों में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं पर रहने वाले 'आरोपी व्यक्तियों' ने फसलों की रक्षा के लिए अपने खेत के चारों ओर विद्युत बाड़ लगाए थे, जिसमें जंगली सूअर फंस कर मर जाते है. हमारे आंकड़े इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं जिनके मुताबिक वन विभाग द्वारा डब्ल्यूपीए के तहत दर्ज 363 मामले (24%) जंगली सूअर के शिकारसे संबंधित हैं. इस मुद्दे को संबोधित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र के लोग मुख्य रूप से वर्षा आधारित खेती करते हैं और खाद्यान एवं आय दोनों के लिए अपनी खरीफ फसल पर निर्भर हैं. इस समस्या के कारण फसलों की सुरक्षा के कृत्य का इस अधिनियम के तहत अपराधीकरण हो रहा है।

एकत्र गुणात्मक आंकड़ों से एक अन्य रुझान यह सामने आता है कि संरक्षित क्षेत्रों (पीए) से वन उपज (जैसे बांस और शहद) एकत्र करने के लिए नियमित रूप से मामले दर्ज किए जा रहे हैं. जैसे कि, एक गोंड आदिवासी के खिलाफ टाइगर रिजर्व के कोर-क्षेत्र से सूखी लकड़ी इकट्ठा करने का मामला दर्ज किया गया था. यह मामला वर्ष 2012 में दर्ज किया गया था और 10 साल बाद भी लंबित है. वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफ.आर.ए.) वन में रहने वाले समुदायों को उनकी बुनियादी जरूरतों और आजीविका के लिए वनोपज के उपयोग के अधिकार को स्वीकार्ता है. इस अधिकार को संरक्षित क्षेत्रों में भी लागु करने की जरुरत है. हाल ही में, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यानों में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता दी है. इन पारंपरिक अधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए और इनके उल्लंघन के लिए दर्ज किसी भी मामले को सरकार द्वारा वापस लिया जाना चाहिए. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में वैध आजीविका गतिविधियों के लिए वनोपज का इस्तेमाल अपराध नहीं होना चाहिए.

मध्य प्रदेश वन विभाग ने 2016-2020 के बीच डब्ल्यूपीए के तहत मछली पकड़ने के 57 मामले दर्ज किए। मंडला और बालाघाट से एकत्रित आंकड़े इस अवधि के बाद के मामलों की संख्या से मेल खाते हैं. एफआरए की धारा 3(1) (डी) के तहत स्थानीय जल स्रोतों से मछली और अन्य समुद्री

जीव के शिकार को सामुदायिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत ऐसे मामले साफ़ तौर पर अवैध हैं क्योंकि यह अधिनियम वन में निवास करने वाले समुदायों के अधिकारों का अपराधीकरण करते हैं. इनमें से कई मामले अभी भी लंबित हैं और औसतन 3-4 साल तक यह मुकदमे चलते है. इन मामलों पर भी राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए और सरकार द्वारा इनकी समीक्षा की जानी चाहिए.

वन्यजीव अपराधों संबंधी अभियोजन के स्वरुप

अधिनियम के किसी भी धारा के उल्लंघन के लिए धारा 51 के तहत विस्तृत दंड का प्रावधान किया गया है और इसके तहत अपराधी को 3 साल तक की सजा और/या पच्चीस हजार रुपये तक का जुर्माने हो सकता है. अनुसूची I या II के किसी जानवर से संबंधित अपराध, या शिकार (धारा 9), या अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान के सीमाओं में बदलाव (धारा 27) के मामलों तीन से सात साल तक का कारावास और 10 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इस विधेयक में जुर्माने की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है, इससे आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के अपराधी-करण के लिए दंड राशि में वृद्धि होगी.

विभिन्न अनुसूचियों में वन्यजीव कानून में प्रदत्त सुरक्षा के विभिन्न स्तरों के आधार पर सजा को वर्गी-कृत नहीं किया गया है जैसा कि अन्य विशेष आपराधिक कानूनों या मजिस्ट्रेट के स्तर पर निपटारा किए जाने वाले मामलों में होता है. वन्यजीव अपराधों के अभियोजन से संबंधित विशिष्ट समस्याएं निम्नलिखित हैं:

लंबित मामले:

साल 2016-2020 के बीच वन विभाग द्वारा दायर किए गए 1414 मामलों वाले डेटा सेट में, 95% से अधिक मामले अभी भी अनिर्णीत हैं. 727 मामले (51%) न्यायालय में लंबित थे और 627 मामले (44.3%) विभागीय कार्यवाही के अधीन थे. 35 मामले (2.4%) बिना किसी आगे की कार्यवाही के बंद कर दिए गए, संभवतः अज्ञात व्यक्तिvयों, जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका, के खिलाफ दर्ज अपराधों के कारण ऐसा हुआ.

वन्यजीवों (अनुसूची I से अनुसूची V के अंतर्गत संरक्षित वन्यजीव) के शिकार के आरोपी व्यक्तियों

के साथ साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़ों के हमें कुछ रुझान प्राप्त हुए हैं. ये रुझान 16 मामलों की हमारी समीक्षा से मेल खाते हैं, इनमें में से अधिकांश 4-5 वर्षों से लंबित हैं. कुछ मामले 7-8 साल से चल रहे थे और एक मामला 16 साल से लंबित था जिसमें एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी.

अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के दिशा-निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होने के बावजूद, पुलिस और वन विभाग द्वारा दर्ज द्वारा दर्ज प्राथमिकी एवं प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि आरोपीयों की गिरफ्तारी ज़रुरत न होने पर भी की जा रही है. फील्ड वर्क से पता चलता है कि मजिस्ट्रेट आमतौर पर जमानत खारिज कर देते हैं.साथ ही वन्यजीव अपराधों से संबंधित अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों के साक्षात्कार से यह सामने आया कि आमतौर पर जमानत उच्च न्यायालय से ही मिल पाती है.

आरोपीयों द्वारा वहन

आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद उसे आगे की कानूनी कार्यवाही जारी रखने में भारी खर्च वहन करना पड़ता है.

जमानत के लिए मध्य प्रदेश में औसतन पंद्रह से बीस हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं. मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में हर पेशी इस खर्च में इजाफा करती है. इस दौरान हर आरोपी को पांच सौ रुपये वकील की फीस के रूप में देने पड़ते हैं और अपने गांव से मजिस्ट्रेट कोर्ट तक आने-जाने में उनके दो से तीन सौ रुपये खर्च होते हैं.

कुछ गांवों में यह देखा गया कि इस खर्च को उठाने के लिए समुदाय के सदस्यएक-दूसरे से उधार लेते हैं. बड़ी संख्या में लोग स्थानीय साहूकारों से भी कर्ज (कभी-कभी ऊँचे ब्याज दर पर) लेते हैं और इस प्रकार वे कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाते हैं.

दर्ज मामलों के परिणाम

वन विभाग द्वारा दायर मामलों की प्रवृत्ति पर नज़र रखने वाले आंकड़ों से पता चलता है कि केवल सात अभियुक्तों पर जुर्माना लगाया गया. जिन पांच मामलों में जुर्माना लगाया गया, उनमें जुर्माना राशि दो सौ से पांच लाख रुपये के बीच थी.

कैद की सजा की अवधि में भी एक महीने से कम से लेकर 5 साल से अधिक अवधि तक की कैद की व्यापक भिन्नता देखी गई. एक आरोपी को 1 महीने से कम की सजा सुनाई गई, दो को 1 से 3 महीने की सजा का दोषी ठहराया गया और तीन को क्रमशः एक साल, 4 साल और 5 साल से अधिक की सजा सुनाई गई.

मुकदमों में समझौते की दर 3.1% थी, यानी 1400 से अधिक मामलों में से केवल 13 मामलों में समझौता किया गया. निचली अनुसूचियों (III-V) में वर्गीकृत और कम संरक्षण प्राप्त जानवरों से संबंधित अपराधों के मामलों में समझौते की संभावना के बावजूद हमारे फील्ड वर्क के अनुभव इन आंकड़ों की पुष्टि करते हैं कि वन अधिकारी, आदिवासी समुदायों में अपराधीकरण का खौफ़ बनाए रखने के लिए जुर्माना ना लगाकर कार्यवाही जारी रखते हैं.

सिफारिशें:

- जंगली सूअर की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी से पैदा हुई परेशानी को दूर करने की आवश्यकता है. यह बड़ी मात्रा में फ़सल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके लिए शायद ही कभी राजस्व विभाग द्वारा मुआवजा दिया जाता है। वह मानव जीवन के लिए भी खतरा पैदा करते हैं. ऐसी परिस्थितियों में की गई आत्मरक्षा को भी शिकार के रूप में देखा जाता है और उस पर एक लंबा मुकदमा चलता है. हम अनुशंसा करते हैं कि डब्ल्यूपीए की अनुसूची V के तहत इस प्रजाति का चयनात्मक वध किया जाए या इन्हें विनाशकारी प्रजाति माना जाए.

- डब्ल्यूपीए की अनुसूची V के तहत मछली के कृमी (वर्मिन) प्रजाति के रूप में वर्गीकृत होने के बावजूद, संरक्षित क्षेत्रों में मछली पकड़ने पर निर्भर आजीविका के लिए आपराधिक मुकदमें चल रहे हैं. यह वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है और राज्य को ऐसे मामले वापस ले लेने चाहिएं.

- व्यक्तिगत वन अधिकारों को मान्यता प्रदान किए जाने के बावजूद संरक्षित क्षेत्र में अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया वर्तमान में वन में निवास करने वाले समूहों के सामुदायिक वन अधिकारों (सीएफआर) को मान्यता नहीं देती है. उड़ीसा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए सभी राज्यों के वन विभागों द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में इन अधिकारों के आवेदनों की अस्वीकृति को रद्द करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं.